राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर
वित्त (नियम) विभाग, मुख्यालय

क्रमांक :–एफ4(13)/वित्त/नियम/172/2017/6237 दिनांकः– 22.11.2017

परिपत्र

इस कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ4(13)/वित्त/नियम/172/11/4176 दिनांक 21.06.2011 में निम्न प्रावधान हैं:–

यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन गत सात वर्षों की निरन्तरता में उपलब्ध नहीं है तो ए.सी.पी. के प्रकरण का निस्तारण करने के लिए संतोषजनक सेवा का निर्धारण निम्न आधार पर किया जावेः–

1. किसी अधिकारी/कर्मचारी के गत 7 वर्षों में जितने वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है, उतने ही पिछले वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन देखे जावे।
2. कोई विभागीय अथवा फौजदारी जॉच का प्रकरण विचाराधीन न हो।
3. पिछले वर्षों में निरन्तर वार्षिक वेतन वृद्धियां मिलती रही हैं।
4. नियंत्रक अधिकारी द्वारा संतोषजनक सेवा का प्रमाण–पत्र दिया जावे।

उक्त बिन्दु संख्या 1 के विषय में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन गत 7 वर्षों की निरन्तरता में उपलब्ध नहीं है, तो ए.सी.पी. के प्रकरणों का निर्धारण निम्न आधार पर किया जावेः–

1. किसी अधिकारी/कर्मचारी के मामले में जितने वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं हैं उतने वर्षों के अधिकतम गत 2 वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन देखे जा सकेंगे।
2. यदि फिर भी 7 वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसे प्रकरणों में जितने वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन कम हैं उतने आगामी वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर 7 वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पूर्ण होने पर ही ए.सी.पी. स्वीकार की जा सकेगी।

(गोपाल विजय)
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक :–एफ4(13)/वित्त/नियम/172/2017/6237 दिनांकः– 22.11.2017

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
2. कार्यकारी निदेशक ( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
3. महा प्रबन्धक/संयुक्त महा प्रबन्धक ( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
4. उप महाप्रबन्धक/कार्यकारी प्रबन्धक( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
5. उप महाप्रबन्धक (आई.टी) निगम के वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. निगम सचिव, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
7. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी के0का0...।
8. कार्यकारी प्रबन्धक (बजट)/सुरक्षा अधिकारी, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
9. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त), रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
10. सहायक लेखाधिकारी ( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

(श्रीराम मीना)
महा प्रबन्धक (वित्त–नियम)

Scanned by CamScanner